केवल विभागीय उपयोगार्थ

परिपत्र संख्या-न्याय-व0प्र0 0पटल-महत्वपूर्ण निर्णय/2011-12/ 1112029 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:जून:: 27 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त एडी0कमि0 ग्रेड-2(वि0 नु0शा0/प्रवर्तन)/अपील,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0 नु0शा0) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(सर्वो0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या-130 दिनांक 21-5-2011 से निम्न निर्णयों को महत्वपूर्ण मानते हुए संक्षिप्त विवरण के साथ निर्णय की प्रतियॉ उपलब्ध करायी हैं, जिनका संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है :-

1- **सिविल अपील संख्या-926/2011 निर्णय दिनांक 05-4-2011 सर्वश्री पेप्सिको इण्डिया होल्डिग्स लि0 बनाम कमिश्नर, व्यापार कर** :- प्रश्नगत मामले में व्यापारी का बाटल व क्रेट पर करदायित्व एवं ब्याज देयता का विवाद था । मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यापारी की अपील खारिज करते हुए माना गया कि स्वीकृत रुप से देयकर पर ब्याज की देयता उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत है न की धारा 8(1-बी) के अन्तर्गत ।

2- **सिविल अपील संख्या-2988/2011 निर्णय दिनांक 06-4-2011 कमिश्नर, व्यापार कर बनाम सर्वश्री कारतोष इण्टरनेशनल** :- इस मामले में यह विवाद था कि क्या साइन्टिफिक एवं बायोलोजिकल इन्स्ट्रमेन्टस/इक्विपमेन्ट जो मुख्यतया रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों को आपूर्ति किये गये हैं उन्हें विज्ञप्ति संख्या-1166 दिनांक 11-4-2000 के अनुसार छूट देय है या नही । मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभाग की अपील स्वीकार करते हुए माना गया कि उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत छूट देय नही है ।

3- **सिविल अपील संख्या-3186/11 निर्णय दिनांक 11-4-2011 कमिश्नर, व्यापार कर बनाम सर्वश्री वरुन ब्रेवरीज लि0** :- प्रश्नगत मामले में यह बिन्दु था कि उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 4क के अन्तर्गत करमुक्ति हेतु साफ्ट ड्रिंक व ब्रेवरेज के निर्माण में प्रयुक्त बाटल एवं क्रेटस को स्थायी विनियोजन का हिस्सा होना चाहिए या नही । मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मामले में क्रेटस को करदायित्व से छूट के सम्बन्ध में स्थायी पूॅजी विनियोजन का हिस्सा नही माना गया है , लेकिन बाटल को स्थायी पूॅजी विनियोजन का हिस्सा माना गया है ।

4- **एस0एल0पी0(सी) संख्या-21999/2010 निर्णय दिनांक -- अप्रैल-11 सर्वश्री बंसल वायर इण्डस्ट्रीज लि0 व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य** :- इस मामले मे यह बिन्दु निहित था कि क्या स्टेनलेस स्टील वायर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत टूल्स एलाएज एवं स्पेशल स्टील की श्रेणी में आता है या नही। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमति देते हुए यह माना गया कि " **स्टेनलेस स्टील वायर** " केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 14(iv) (ix) के अन्तर्गत परिभाषित आयरन एवं स्टील-" टूल्स एलाएज एवं स्पेशल स्टील " की श्रेणी में नहीं आता है। परिणामत: यह " **घोषित वस्तु** " नहीं है।

अत: मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इन निर्णयों से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक-उपरोक्तानुसार</u>।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ
3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(अपील) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(सर्वो0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
5- ज्वाइन्ट कमिश्नर (मैनुअल अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ।
7- समस्त डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।